फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ....भूरा........ बनाम ....प्रभु........

मुकदमा संख्या ~~T.I.~~ 19/2023

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/08/24	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री गोपाल बाना एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी हाजिर। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय--वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 की भूमि ग्राम कवंरकाबास, भू0अ0नि0 क्षैत्र कालवाड, तहसील कालवाड के खसरा नम्बर 160 रकबा 0.0253 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.5185 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे। निर्णय आज दिनांक.....23/08/24..... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	